न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 22/2022
1– रविन्द्रसिंह पुत्र कपूरचन्द जाति जाटव निवासी बड़ा मौहल्ला कामां तहसील कामां
प्रार्थी
बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला भरतपुर
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः 19.9.2022

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 मू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 260/0.34नया नम्बर 323/0.34 वाके ग्राम नदोला तहसील कामां में स्थित है । जो प्रारम्भ से ही रकवा 0.34 हैक्टर का है । उक्त रकवा 0.34 हैक्टर वाके ग्राम नदोला में नदौला की तरफ जाने वाले रास्ते पर व तरफ दक्षिण में स्थित है । एवं मौके पर प्रार्थी का सम्पूर्ण रकवा पर कब्जा व काश्त है । पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर रकवा 0.34 हैक्टर ही , परन्तु वर्तमान सैटलमेन्ट के ट्रेस नक्शे में प्रार्थी का रकवा 0.34 हैक्टर की जगह 0.28 हैक्टर कर दिया है । जो कतई गलत है । सेटलमेन्ट के कर्मचारियों ने गलत तरीके से अपने मनमाने तरीके से बिना कोई जाचं व निरीक्षण किये वास्तविक रकवे 0.34 को 0.28 हैक्टर कर दिया है । एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस मे 0.28 हैक्टर रकवा ही दर्ज कर उसे चिन्हित भी कर दिया है । जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है । न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत है । उक्त आराजी खसरा नम्बर 260/0.34 (323/0.34) को वर्तमान नक्शा में ट्रेस में रकवा कम रहने की वजह से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है । इसलिए उक्त खसरा नम्बर के संबंध में वर्तमान नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती कर वास्तविक रकवा 0.28 के स्थान पर 0.34 किया जाना न्यायहित में आदेश फरमावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया है । अप्रार्थी राजस्थान सरकार तहसीलदार कामां को जरिये नोटिस सूचित किया गया । तहसीलदार कामां ने जबाव पेश किया कि पटवारी हल्का से मौके की जांच कराई गई मुताबिक नक्शा शीट बन्दोबस्ती के आखनं0 260/0.34 की नाम निम्न प्रकार दर्शायी गई है । तरफ उत्तर 64 गटठा तरफ दक्षिण 66 गटठा पूर्व तरफ 16 गटठा पश्चिम तरफ 8 गटठा जिसके अनुसार उक्त खसरा नम्बर 0.31 हैक्टर आता है । जबकि जमाबन्दी सं0 2074–77 में रकवा 0.34 हैक्टर है । साविक खसरा नम्बर 260/0.34 हैक्टर की चारो दिशाओ को साविक खसरा नम्बर बन्दोबस्ती (मिसल साविक) के आधार पर देखा गया जिसमें उक्त खसरा नम्बर की नाप दो भागों में निम्न प्रकार से है । उत्तर दिशा 67 गटठा व दक्षिण तरफ 68 तथा पूरब तरफ 16 गटठा पश्चित तरफ 8 गटठा अंकित है । उक्त नाप के आधार पर आखनं0 323(हाल) या 260 (साविक) का रकवा 2बीघा 2 विस्वा अथवा 0.34 हैक्टर होता है । अतः नवीन नक्शा शीट की उत्तर भुजा 64 गटठा के स्थान पर 67 गटठा की जानी है । अर्थात 3 गटठा (6 मीटर) बढानी है । इसी प्रकार दक्षिण की भुजा 66 गटठा के स्थान पर 68 गटठा की जानी है । अर्थात 2 गटठा (4 मीटर) बढानी है । पूरव एवं पश्चिम की भुजाओं में साबिक एवं हाल रिकार्ड में समानता होने के कारण कोई बदलाव नहीं करना है । एक गटठा की माप 2 मीटर के बराबर है । अतः नक्शा शुद्ध किया जाना उचित है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार रिपोर्ट का मनन किया । खसरा नम्बर 260/0.34नया नम्बर 323/0.34 वाके ग्राम नदोला तहसील कामां राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर रकवा 0.34 हैक्टर ही , परन्तु वर्तमान सैटलमेन्ट के ट्रेस नक्शे मे प्रार्थी का रकवा 0.34 हैक्टर की जगह 0.28 हैक्टर कर दिया है । गलत है । साविक खसरा नम्बर

260/0.34 हैक्टर की चारो दिशाओ को साविक खसरा नम्बर बन्दोबस्ती (मिसल साविक) के आधार पर देखा गया जिसमें उक्त खसरा नम्बर की नाप दो भागों में निम्न प्रकार से है । उत्तर दिशा 67 गटठा व दक्षिण तरफ 68 तथा पूरव तरफ 16 गटठा पश्चित तरफ 8 गटठा अंकित है । उक्त नाप के आधार पर आखन0 323(हाल) या 260 (साविक) का रकवा 2बीघा 2 बिस्वा अथवा 0.34 हैक्टर होता है । अतः नवीन नक्शा शीट की उत्तर भुजा 64 गटठा के स्थान पर 67 गटठा की जानी है । अर्थात 3 गटठा (6 मीटर) बढानी है । इसी प्रकार दक्षिण की भुजा 66 गटठा के स्थान पर 68 गटठा की जानी है । अर्थात 2 गटठा (4.मीटर) बढ़ानी है । पूरव एवं पश्चिम की भुजाओं में साविक एवं हाल रिकार्ड में समानता होने के कारण कोई बदलाव नहीं करना है । एक गटठा की माप 2 मीटर के बराबर है । तहसीलदार कामां की रिपोर्ट के अनुसार नक्शा शुद्ध किया जाना उचित है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 को स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार कामां को आदेशित किया जाता है । कि खसरा नम्बर 260/0.34नया नम्बर 323/0.34 वाके ग्राम नदोला तहसील कामां राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्तमान सैटलमेन्ट के ट्रेस नक्शे में प्रार्थी का रकवा 0.34 हैक्टर की जगह 0.28 हैक्टर कर दिया है । गलत है । साविक खसरा नम्बर वर्तमान नक्शा में 260/0.34 हैक्टर की चारो दिशाओ को साविक खसरा नम्बर बन्दोबस्ती (मिसल साविक) के आधार पर उक्त खसरा नम्बर की नाप दो भागों मे निम्न प्रकार किया जाता है । उत्तर दिशा 67 गटठा व दक्षिण तरफ 68 तथा पूरव तरफ 16 गटठा पश्चित तरफ 8 गटठा अंकित है । उक्त नाप के आधार पर आखन0 323(हाल) या 260 (साविक) का रकवा 2बीघा 2 बिस्वा अथवा 0.34 हैक्टर होता है । अतः नवीन नक्शा शीट की उत्तर भुजा 64 गटठा के स्थान पर 67 गटठा की जाता है । अर्थात 3 गटठा (6 मीटर) बढानी है । इसी प्रकार दक्षिण की भुजा 66 गटठा के स्थान पर 68 गटठा की जाता है । अर्थात 2 गटठा (4 मीटर) बढानी है । पूरव एवं पश्चिम की भुजाओं में साबिक एवं हाल रिकार्ड में समानता होने के कारण कोई बदलाव नहीं करना है । एक गटठा की माप 2 मीटर के बराबर है नक्शा शुद्ध किया शुद्धि के आदेश जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम किया जावे । बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

Shot on realme 8 5G
2022.12.23 15:57